न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 444 / 2011 — दायरा दिनांक : 14.11.2011

उनवान

भैरू पुत्र मंगला, जाति कहार, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल, जाति कहार, निवासी खुरी

2– हजारी वल्द शौला, जाति कहार, निवासी खुरी

3– नारायण वल्द शौला, जाति कहार, निवासी खुरी

4– भंवरी पुत्री शौला पत्नी स्वर्गीय पूरीलाल, जाति कहार, निवासी चाचौरनी

5– गुलाब पुत्री शौला पत्नी गोपाल मृतक कायम मुकामान :–

5 / 1– गोपाल वल्द लाला जी, जाति कहार, निवासी आकोल्या

5 / 2– कंवरलाल वल्द गोपाल, जाति कहार, निवासी आकोल्या

6– जानी पुत्री शौला पत्नी देवीलाल, जाति कहार, निवासी चाचोरनी

7– मांगीलाल वल्द रोड़ा, जाति लोधा, निवासी खुरी

8– कन्हींराम वल्द रोड़ा, जाति लोधा, निवासी खुरी

9– मोती वल्द गेन्दा, जाति लोधा, निवासी खुरी

टंकणकर्ता

[illegible] बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू- प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★कोटा★)

10— भंवरलाल वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी

11— वीरम वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी

12— घनश्याम वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी

13— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्यामसुन्दर शर्मा II अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : **26.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 07/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम कंजूरा, तहसील मनोहरथाना के माल में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के शामलाती खाते में खतौनी संख्या 47 नई पुरानी 47 की खसरा नम्बर 10 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा कुल 7 किता की 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित थी जिसमें भैरू

रेकणकर्ता
[signature]
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

[signature]
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

वल्द मंगला का 1/4 हिस्सा था । प्रतिवादी भैरू पुत्र मंगला ने दिनांक 01.06.1989 को वर्णित आराजी का 1/16 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा बेचान कर कब्जा वादी को संभला दिया था, तब से वादी का कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त बैचान के बाद वादी के हक में इन्तकाल भी तस्दीक हो चुका है तथा इन्तकाल का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2045–2048 में हो चुका है तथा खरीदने के बाद से वादी का कब्जा खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजियात के वर्तमान में 5 खाते अलग अलग कर दिये गये हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :– ग्राम कंजूरा की खतौनी सं. 58 नयी व पुरानी 50 में खसरा नम्बर 36, 38, 266 का 18 बीघा 13 बिस्वा, खातेदार भैरू पुत्र मंगला 1/2, नारायण, भंवरी, जानी पुत्रियां शौला 1/2, खतौनी सं. नयी 57 पुरानी 52 की खसरा नम्बर 10 की 6 बीघा 1 बिस्वा खातेदार भैरू पुत्र मंगला 3/14, हजारी 1/10, नारायण 3/40, गुलाब, ज्यानी पुत्रियां शौला 3/10, मांगीलाल, कन्हींराम पुत्र रोड़ा हिस्सा 87/280 खतौनी संख्या 55 नयी पुरानी 50 की खसरा नम्बर 11 की 4 बीघा 19 बिस्वा आराजी भैरू पुत्र मंगला 1/2 हजारी, भंवरी, गुलाब, जानी पुत्रियां शौला 4/10, कन्हींराम मांगीलाल पिता रोडा हिस्सा 1/10 खतौनी संख्या नयी 54 पुरानी 49 खसरा नम्बर 35 की 3 बीघा 1 बिस्वा खातेदार भैरू पुत्र मंगला 1/2, मोती पुत्र मंगला 1/2, खतौनी सं. 59 नयी पुरानी 51 की खसरा नम्बर 35 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खातेदार भैरू पुत्र मंगला हिस्सा 3/14 हजारी, नारायण, भंवरी, गुलाब, जानी पिता शौला हिस्सा 1/2 भंवरलाल, बीरम चन्द घनश्याम पिता प्रभूलाल हिस्सा 2/7 बना दिये गये है जो गलत है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के वादी का नाम खाते से हटा दिया गया है जो गलत है। खातेदार गुलाब पुत्री शौला की मृत्यु हो गई है परन्तु अभी जमाबंदी में मृत्यु सम्बन्धी इन्द्राज नहीं हुआ है इसके वारिसान इसका पति गोपाल

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

व लड़का कंवरलाल है जिन्हें पक्षकार बनाकर वाद पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी शामिल रहने से आये दिन लड़ाई–झगड़ा होता रहता है तथा वादी आराजी का विकास भी नहीं कर पा रहा है। अतः खाता विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वादी ने प्रतिवादीगण के खाते में वादी का नाम दर्ज करने तथा उसका 1/16 हिस्सा पृथक खाते दर्ज कराने का कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद फर्द डिक्री किया तथा आदेश दिया कि ग्राम कंजूरा तहसील मनोहरथाना की खतौनी संख्या नयी 47 पुरानी 47 की कुल 7 किता की 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी में भैरू प्रतिवादी का 1/4 हिस्से में से बैनामे के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित नामान्तरकरण अनुसार हिस्सा 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम कूंजरा की 7 किता की 36 बीघा 9 बिस्वा के मामले में बैनामा दिनांक 01.06.1989 के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है । विवादित आराजी 36 बीघा 9 बिस्वा के मामले में रेस्पोडेंट कम 1 के अलावा समस्त खातेदारान में कानूनी बंटवारा रेस्पोडेंट के वाद दायरी के पूर्व ही हो चुका था एवं वाद दायरी के दिनांक अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 36, 38, 206 की कुल 18 बीघा 13 बिस्वा जमीन थी ऐसी स्थिति में 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी मानकर डिक्री पारित कर दी गई । अपीलांट के द्वारा सन् 1989 में कभी भी आराजी 36 बीघा 9 बिस्वा के 1/16 भाग का बेचान नहीं किया गया इसलिए नामान्तरकरण नं. 85 दिनांक 12.06.1989 का अमल रेकार्ड में नहीं हुआ एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 का आराजी के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र नामान्तरकरण नं. 85

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

दिनांक 12.06.1989 के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 का वाद डिकी कर दिया वर्तमान रेकार्ड अर्थात वाद दायरी के दिनांक का न रेकार्ड गौर नहीं किया गया । विवादित आराजी 36 बीघा 9 बिस्वा वाद दायरी के दिनांक के पूर्व ही करीब 5 पृथक पृथक खातों में दर्ज हो चुकी थी ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 1 को बंटवारे की डिकी निरस्त कराकर सम्पूर्ण आराजी 36 बीघा 9 बिस्वा एक खाते में कराकर ही पृथक वाद प्रस्तुत करना चाहिए उक्त कारण से भी रेस्पोडेंट का वाद चलने योग्य नहीं था । रेस्पोडेंट कम 1 का आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा न होने से तथाकथित विकय पत्र के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं है जब कब्जा ही नहीं है तो रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट के अलावा अन्य पक्षकारान के मध्य 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी का बंटवारा हुआ उसमें तथाकथित विकय पत्र के आधार पर पक्षकार बनाकर अपनी चाराजोही करना चाहिए परन्तु रेस्पोडेंट ने कब्जा न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.10.2011 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 बिरधीलाल के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया कि वादी को उसका 1/16 हिस्से प रनाम दर्ज कर हिस्सा पृथक खाते दर्ज किया जावे । अधीनसी न्यायालय के द्वारा अपीलांट भैरू के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
...श बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

1/4 हिस्से में से रेस्पोडेंट कम 1 वादी बिरधीलाल को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया । इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी में अपीलांट का 1/4 हिस्सा अंकित है। रेस्पोडेंट/वादी के द्वारा दिनांक 31.06.1989 को विवादित आराजी में से 1/16 हिस्सा न तो बेचान किया और ना ही कब्जा संभलाया, बिना आधार के रेस्पोडेंट को 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी कुल 36 बीघा 9 बिस्वा थी। रेस्पोडेंट के अलावा समस्त खातेदारान ने कानूनी बंटवारा वाद दायरी के पहले ही कर लिया था। वाद दायरी की दिनांक अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 36, 38, 206 की कुल 18 बीघा 13 बिस्वा जमीन थी। ऐसी स्थिति में 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी मानकर डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 12.06.1989 को आधार मानकर रेस्पोडेंट का वाद डिक्री किया है जबकि वाद दायरी की दिनांक के राजस्व रेकार्ड की ओर उचित गौर नहीं फरमाया। वाद दायरी की दिनांक के पूर्व ही 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी करीब 5 पृथक पृथक खातों में दर्ज हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट कम 1 को पूर्व के बंटवारे की डिक्री निरस्त करवाकर ही अपने अधिकारों हेतु वाद पेश करना चाहिए था । तथाकथित विकय पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट कम 1 के हक में नामान्तरकरण सं. 85 दिनांक 12.06.1989 का अमल वाद दायरी तक क्यों नहीं किया गया इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया एवं समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों एवं रिकार्ड के विपरीत किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2011 निरस्त की जावे ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

धीरा बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि बिरधीलाल ने एक दावा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 13 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था । इस वाद पत्र के अनुसार ग्रा़ु कुंजरा, तहसील मनोहरथाना में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 47 नई व पुरानी 47 के अनुसार 7 किता की 36 बीघा 9 बिस्वा आराजी थी जिसमें अपीलांट भैरू का 1/4 हिस्सा था। अपीलांट भैरू ने दिनांक 01.08.1989 को उक्त वर्णित आराजी में अपना 1/16 हिस्सा रेस्पोडेंट नं. 1 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करके कब्जा संभला दिया था तब से ही रेस्पोडेंट नं. 1 का उक्त खरीदशुदा आराजी पर कब्जा चला आ रहा हे । उक्त बेचान का नामान्तरकरण नं. 85 दिनांक 12.06.1989 को तस्दीक हो गया था । उक्त नामान्तरकरण नं. 85 का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2045 से 2048 में हो रहा है । रेस्पोडेंट नं. 1 के उक्त आराजी खरीदने के बाद से ही खसरा नं. 38 की 2 बीघा 4 बिस्वा आराजी पर कब्जा निरन्तर आज तक चला आ रहा है । वाद के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी के पांच खाते अलग अलग बना दिये गये हैं जिसका विवरण वाद के पैरा नं. 3 में दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण में आपस में विवाद होता है इस कारण रेस्पोडेंट नं. 1 विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने का अधिकार है तथा रेस्पोडेंट नं. 1 विवादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकार है । अपीलांट के द्वारा वादग्रस्त आराजी का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेंट नं. 1 को बेचान कर दिया है इस कारण अपीलांट अब अपील में किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री सही रूप से पारित की गई है । अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
[संतोष] बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम कूंजरा, तहसील अकलेरा संवत 2045–2048एक्जीविट पी–1, जमाबंदी ग्राम कून्जरा, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2061–2064 एक्जीविट पी 3, जमाबंदी ग्राम कून्जरा, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2061–2064 एक्जीविट पी 4, जमाबंदी ग्राम कून्जरा, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2061–2064 एक्जीविट पी 5, जमाबंदी ग्राम कून्जरा, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2061–2064 एक्जीविट पी 6, बैःनामा भैरू पुत्र मंगला कहार दिनांक 01.06.89 एक्जीविट पी 7, नामान्तरकरण पंजिका ग्राम कूंजरा, तहसील अकलेरा कुल किता 7 की 36 बीघा 9 बिस्वा एक्जीविट पी 8, नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम कूंजरा, तहसील अकलेरा संवत 2049–2052 एक्जीविट पी–9, नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम कून्जरा, पटवार हल्का सरेडी, भू अभिलेख निरीक्षण हल्का बांसखेडी, तहसील अकलेरा संवत 2053–2056 एक्जीविट पी–10, नकल जमाबंदी ग्राम कून्जरा, पटवार हल्का सरेडी, भू अभिलेख निरीक्षण हल्का बांसखेडी, तहसील मनोहरथाना सम्वत 2057–2060 एक्जीविट पी 11 पेश किये जिनके अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिरधीलाल को बेचान कर दिया है इस कारण अपीलांट भैरू लाल अब अपील में किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

[signature]
...श बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
...-प्रबन्ध अधिकारी, को...

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक **26.08.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भैरू पुत्र मंगला, जाति कहार, निवासी खुरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल, जाति कहार, निवासी खुरी
2– हजारी वल्द शौला, जाति कहार, निवासी खुरी
3– नारायण वल्द शौला, जाति कहार, निवासी खुरी
4– भंवरी पुत्री शौला पत्नी स्वर्गीय पूरीलाल, जाति कहार, निवासी चाचौरनी
5– गुलाब पुत्री शौला पत्नी गोपाल **मृतक कायम मुकामान :–**
5/1–गोपाल वल्द लाला जी, जाति कहार, निवासी आकोल्या
5/2–कंवरलाल वल्द गोपाल, जाति कहार, निवासी आकोल्या
6– जानी पुत्री शौला पत्नी देवीलाल, जाति कहार, निवासी चाचोरनी
7– मांगीलाल वल्द रोड़ा, जाति लोधा, निवासी खुरी
8– कन्हींराम वल्द रोड़ा, जाति लोधा, निवासी खुरी
9– मोती वल्द गेन्दा, जाति लोधा, निवासी खुरी
10– भंवरलाल वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी
11– वीरम वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी
12– घनश्याम वल्द प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी खुरी
13– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 444/2011 एवं
मु.द.नं0 07/ 2007

नाराज़गी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना
निर्णय व डिक्री दिनांक – 24.10.2011

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **05** माह **08** सन् **2022**

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं **श्री श्यामसुन्दर शर्मा** ।। अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.10.2011 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **26** माह **08** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)